संख्या-111/2021/2122/छप्पन-2021-11/2013टी.सी.-2

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2021

विषय: जनपद अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-400/आर0सी0एस0-2021-ए-3/2018 दिनांक 09 नवम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु निर्धारित व्यय की धनराशि रू0 85.64 करोड़ (रूपया पच्चासी करोड़ चौसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से रू0 47.54 करोड़ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को तथा रू0 38.10 करोड़ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराई जानी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु व्यय की जाने वाली कुल धनराशि रू0 85.64 करोड़ (रूपया पच्चासी करोड़ चौसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 2.00 करोड़ (रूपए दो करोड़ मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(8) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2.00 करोड़ (रूपए दो करोड़ मात्र) को तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उक्त धनराशि का आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण निम्नलिखित खातों में किया जाएगा:-

<u>उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0</u>	**<u>मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0</u>**
खाता का नाम: CE(T) UPPTCL	खाता का नाम: Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
पैन नं0: AAACU8823E	पैन नं0: AAECM0108J
खाता नं0: 30231982762	खाता नं0: 628105017987
बैंक का नाम: State Bank of India	बैंक का नाम: ICICI Bank
ब्रांच का नाम: Ashok Marg, Lucknow	ब्रांच का नाम: Hazratganj, Lucknow
आई0एफ0एस0सी0 कोड: SBIN0003347	आई0एफ0एस0सी0 कोड: ICIC0006281

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-60-भूमि क्रय" से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-3414/दस-2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 111/2021/2122(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग-3 को उनके पत्र संख्या-2532/चौबीस-पी-3-2021-1158/2019 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

7- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।